न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. आनन्द बोर्दिया पिता केसरीमल जी बोर्दिया, निवासी फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नीरा बोर्डिया पत्नी आनन्द जी बोर्दिया, नि0 फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. दौलतसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रूकमण कुंवर उर्फ हगाम कुंवर पत्नी भैरूसिंह जी राणा, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. दूल्हेसिंह पिता चतरसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. नरेश कुमार पिता स्वर्गीय बी.सी.जैन, निवासी 3, क्लेकंर्स रोड़, सेकेण्ड फ्लोर, विजय काम्पलेक्स, माउण्ट रोड, चेन्नई–2
6. हमेरसिंह पिता खुमाणसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती कुंवर मोनिकासिंह उर्फ धारित्रीसिंह पिता महिपालसिंह जी राजपूत, निवासी लावा सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राज0
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), गिर्वा
दिनांक 02.01.2018 प्र.सं. 164/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री सत्यप्रकाश व्यास अभि. रे. सं. 1 से 4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 09–11–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चिकलवास में आराजी नंबर 2285 से 2297, 2356 से 2358, 2360 से 2372, 2377 से 2385 कुल किता 38 रकबा 10.6350 एयर भूमि स्थित है, जिसका पक्षकारों के मध्य अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 4 व 5 की है, जिसमें अन्य विपक्षीगण का कोई हित एवं अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 व 3 का खाते में गलत अंकन हो गया है, जिससे उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विपक्षी संख्या 1 धनाढ्य व बाहरी व्यक्ति होकर उक्त भूमि में जबरन प्रवेश कर जबरन कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 द्वारा बनाये जा रहे कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को तुरन्त रोका जावे तथा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न किसी अन्य से करावें तथा मौके पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रोका जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में सभी हिस्सेदारों का अपने हिस्से अनुसार कब्जा है तथा मौके पर जमीन बटी हुई है। प्रार्थीगण ने झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–01–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधारी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 नरेश के विरूद्ध ही रिलीफ चाही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध ही जारी की थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक अपीलान्टगण के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जो कानून के विपरीत है। अपीलान्टगण वादग्रस्त जमीन के सहखातेदार हैं तथा उन्हें अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 301, आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 130 एवं 283 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्टगण ने यह नहीं बताया है कि स्थगन से उसे क्या हानि है, बल्कि उन्हें से अस्थायी निषेधाज्ञा से अच्छा फल बैठे बिठाये मिल गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर. डी. 1995 पेज 764, आर.आर.डी. 1987 पेज 330, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1118, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (1) पेज 399, आर.एल.डब्ल्यू. 2016 (3) पेज 2156, आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (2) पेज 1656, आर.आर.डी. 1989 पेज 591, आर.आर.डी. 1970 पेज 537 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 1998 (1) पेज 440 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि पक्षकारों की सहखातेदारी में अंकित होकर अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारों के मध्य मूलवाद विचाराधीन है। किस पक्षकार का कितना–कितना हिस्सा बनता है इसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार का हस्तक्षेप

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

करना उचित नहीं समझते हैं। किन्तु अपीलान्ट यदि चाहे तो नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर कार्यालय हाजा के नायब तहसीलदार से मौका एवं रिकार्ड की जांच करवाकर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर सकते हैं। मौका रिपोर्ट आने तक अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–01–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested